राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–एफ.1(ई)(1)(6)ख.ले/प्रति./अलेसे–III/1572-1860 दिनांक :– 27.04.2015

विज्ञप्ति

विषय :– खण्डीय लेखाकार के पद के विपरीत स्थानान्तरण हेतु सहमति पत्र

माननीय खण्ड पीठ उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील/रिट संख्या 299/2010, 300/2010 एवं 305/2010 (एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15296/09) में दिनांक 10.08.2010 को दिये गये निर्देशों के अनुसरण में राज्य के विभिन्न जिलों में खण्डीय लेखाकार के रिक्त पदों के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानान्तरण द्वारा पदस्थापन (वरिष्ठता के अनुसार) किया जाना है। इसके लिए विभिन्न निर्माण विभागों यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन (सिंचाई), आईजीएनपी एवं सीएडी में 2 वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/कनिष्ठ लेखाकार पदस्थापन हेतु पात्र होंगे।

अतः राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/कनिष्ठ लेखाकार, जो 2 वर्ष या अधिक की अवधि का निर्माण विभागों का कार्यानुभव रखते है तथा जिनके विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत कोई जांच विचाराधीन/प्रस्तावित अथवा उक्त नियमों के तहत दण्डित नहीं है, यदि खण्डीय लेखाकार के रिक्त पद के विपरीत स्थानान्तरण के इच्छुक है तो, संलग्न "सहमति पत्र" कार्यालयाध्यक्ष से सेवा अभिलेखों के आधार पर सत्यापित करवाकर, इस कार्यालय में दिनांक 25.05.2015 तक भिजवाएं। उक्त दिनांक के पश्चात् प्राप्त सहमति पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :–एफ.1(ई)(1)(6)ख.ले/प्रति./अलेसे–III/1572-1860 दिनांक :– 27.04.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी .... को प्रेषित कर लेख है कि आपके जिले के संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/कनिष्ठ लेखाकार को इस संबंध में अवगत करावें।
2. प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्थान एकाउन्टेट ऐसोसियेशन को सूचनार्थ।
3. समस्त जिला अध्यक्ष, राजस्थान एकाउन्टेट ऐसोसियेशन को सूचनार्थ।

(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)

D:\S.A.S - 03\Padma JI\Padma JI.docx

खण्डीय लेखाकार के पद पर

पदस्थापन हेतु सहमति पत्र

मैं .... बैच वर्ष .... का सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II /कनिष्ठ लेखाकार वर्तमान में कार्यालय .... में दिनांक .... से पदस्थापित हूँ। निदेशालय कोष एवं लेखा की विज्ञप्ति .... दिनांक .... के अनुसरण में राजस्थान में स्थित किसी भी कार्यालय में खण्डीय लेखाकार के पद पर पदस्थापन हेतु सहमति देता हूँ :–

पदस्थापन हेतु जिले की वरीयता
1 ....
2 ....
3 ....
4 ....
5 ....
....

	अनुभव का विवरण	
	कार्यालय का नाम (जिसमें निर्माण लेखों से संबंधित कार्य का अनुभव है)	अवधि
1		
2		
3		
4		
5		

प्रार्थी,

नाम ....

बैच/वरिष्ठता क्रमांक (वर्ष–2015) ....

लिंक नंम्बर ....

मोबाईल नं0 ....

श्री .... कनिष्ठ लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II से संबंधित उक्त विवरण व निर्माण कार्य लेखों का अनुभव उनके सेवाभिलेख के आधार पर सत्यापन किया जाता है तथा श्री .... के विरूद्ध सीसीए नियमों में कोई जाँच विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है तथा न ही इन्हें उक्त नियमों के अन्तर्गत दण्डित किया गया है।

कार्यालयध्यक्ष

नोट :– दिनांक 25.05.2015 तक **सहमति पत्र** प्राप्त होने पर ही खण्डीय लेखाकार के पद के विपरीत स्थानान्तरण हेतु विचार किया जावेगा।